

प्रषक

जावेद उस्मानी,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक,  
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2013

विषय:-ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुये उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1533/52-3-13-सा (30)/13, दिनांक 24.08.2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामीण पेयजल योजना भी सम्मिलित है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही की जाय-

- (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जिन-जिन जनपदों में जितनी संख्या में नई ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएँ स्वीकृत होंगी उन-उन जनपदों की अल्पसंख्यक आबादी के प्रतिशत के हिसाब से ही नई ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएँ अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में स्थापित किये जायेंगे। (प्ररूप-2)
- (ii) मात्राकरण नवीन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के आधार पर ही किया जाय।
- (iii) प्रयास ये किया जाय कि मात्राकृत धनराशि से उन ग्रामों/ मजराओं को आच्छादित किया जाय जिसमें अल्पसंख्यक जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों।


(iv) जनसंख्या स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा जनसंख्या को प्राप्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनसंख्या पर ग्राम व अल्पसंख्यक बाहुल्य मजरा का स्थानोप स्तर पर लक्ष्य आवंटित करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके जनसंख्या को आवंटित लक्ष्य शतप्रतिशत पूर्ति हो जाय। यदि किसी कारण से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है तो विचारोपरान्त प्रकरण तत्काल शासन को संदर्भित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्ररूप-1 संलग्न किया जा रहा है। इस प्ररूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित विवरण / सूचना शासन के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित विभाग परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1533/52-3-2013-सा(30) / 2013, दिनांक 24.08.2013 में निर्धारित अन्य शर्तों / प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


  
(जावेद उस्मानी)  
मुख्य सचिव।

संख्या: 2237 (1)/अड्तीस-5-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पो० लि० लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अरुण सिंघल)  
प्रमुख सचिव।

विभाग का नाम-  
माह-

प्ररूप-1

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को अनुमन्त्र करायें जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित प्ररूप।

क0स0	जनपद का नाम	योजना का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित माह तक उपलब्धि का प्रतिशत	उपलब्धि का प्रतिशत	सन्दर्भित माह तक लक्षित उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

राष्ट्रीय ग्रामीण प्रशासन कार्यका के अन्तर्गत कमीशन (ग्रामपंचायत) कमीशन से खोजी गयी ग्रामीण प्रशासन सेवाएँ  
 ग्रामपंचायत का अधिसूचना संख्या के अनुसार में विभाजन है।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या की संख्या	अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्गों की जनसंख्या	अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्गों का प्रतिशत (%)	जनसंख्या में स्त्री कुल नई राष्ट्रीय ग्रामीण प्रशासन सेवाओं में अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्गों की कुल संख्या	कुल अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्गों में से अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्गों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	सुन्दरनगर	2495850	1275979	51		
2	मुजफ्फरनगर	2013598	584763	29		
3	शामली	1056690	313781	30		
4	मेरठ	1751887	666715	38		
5	बागपत	1069144	310888	29		
6	गालियाबाद	817576	128635	16		
7	अजमेर	762286	280430	37		
8	गौतमबुद्धनगर	700758	135757	19		
9	बुलन्दशहर	2737012	603488	22		
10	भूरादाबाद	2000035	942102	47		
11	अमरसिंह	1436768	720711	50		
12	दिल्ली	2867697	862378	30		
13	समौल	1751551	431305	25		
14	समौलपुर	1817059	956667	53		
15	बदायूँ	2733525	569968	21		
16	बरेली	2419422	1069247	44		
17	पीलीभीत	1746776	485122	28		
18	शाहजहाँपुर	2508944	501173	20		
19	अलीगढ़	2554966	491925	19		
20	(हाथरस)	1281296	142113	11		
21	एटा	1566592	220821	14		
22	कारसंग	1194452	147257	12		
23	मथुरा	1862839	156884	8		
24	अगरा	2490386	266904	11		
25	फिरोजाबाद	1731586	251834	15		
26	गैन्धुली	1643290	118771	7		
27	लखीमपुर खीरी	3702616	809034	22		
28	सीतापुर	4111336	795249	19		
29	हरदोई	3693081	515561	14		
30	रायबरेली	2245954	235382	10		
31	लखनऊ	1612876	362099	22		
32	उन्नाव	2679790	321136	12		
33	कानपुर देहात	1687775	179559	11		
34	कानपुर नगर	1628248	297597	18		
35	फर्रुखाबाद	1527780	239359	16		
36	कन्नौज	1430806	234513	16		
37	इटावा	1264131	102046	8		
38	औरंगाबाद	1191136	96547	8		

क्र.सं.	विशेष का नाम	अवधि का अनुमानित व्यय	अवधि का अनुमानित व्यय	अवधि का अनुमानित व्यय
39	जालौन	1321917	148251	11
40	जोसी	1211724	112820	9
41	जखिमपुर	1088063	54896	5
42	जवा	1584601	136012	9
43	जवा	718200	47885	7
44	जिबपुर	931214	32703	4
45	जमीरपुर	930214	87962	9
46	जरायवी	3047092	682673	22
47	जिलादास	2215973	336054	15
48	अम्बेडकरनगर	2201844	384772	17
49	मुलानापुर	2391627	252289	11
50	अमेठी	2324975	206557	9
51	बहराइच	3331834	950917	29
52	बलरामपुर	2061565	717912	35
53	भारसी	1121860	369486	33
54	गोंडा	3337246	628378	19
55	जि.द्वारनगर	2494550	718723	29
56	बस्ती	2419422	380561	16
57	सदा कवाइनगर	1550118	433918	26
58	भारसाहनज	2651972	452237	17
59	गोरखपुर	3748957	364463	10
60	देवरिया	2895509	354482	12
61	कौशीनगर	3532294	595717	17
62	बलिया	3053092	213340	7
63	आजमगढ़	4389332	702930	16
64	मऊ	1775030	362852	20
65	गजीपुर	3479744	365321	10
66	बन्दा	1778611	193587	11
67	जानपुर	4313529	495155	11
68	बाराबंसी	2162982	382882	18
69	इलाहाबाद	4660779	615991	13
70	गौसाबाग	1534146	206074	13
71	प्रतापगढ़	3155255	456951	14
72	कलकत्ता	2403170	349397	15
73	मिर्जापुर	2235379	176307	8
74	खीरदास नगर	1402867	181055	13
75	रानथगढ़	1610146	89739	6
	<b>योग</b>	<b>160954347</b>	<b>30064949</b>	<b>19</b>

\* ऐसे मतदानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिनमें आवश्यकताओं की आगामी 25 प्रतिशत से इससे अधिक हो।

(सिधू कुमार पाठक)  
अनु सचिव।